अधिसूचना सं0 21/2014-सीमाशुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014.

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सं. सा.का.नि. 194(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

(क) क्रम सं0 14 के सामने, स्तंभ (3) में "सौर उष्मा विद्युत उत्पादन या सुविधा" शब्दों के स्थान पर, "सौर-विद्युत उत्पादन या सौर-ऊर्जा उत्पादन या सुविधा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम सं0 14 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"14क.	कोई अध्याय	निजी कंप्यूटरों (लेपटाप या डेस्कटाप) जिसके अन्तर्गत शीर्ष 8471 के अधीन आने वाले टेबलेट कंप्यूटर भी हैं, के विनिर्माण में उपयोग के लिए निवेश या संघठक : परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट अधिसूचना सं012/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध शर्त सं0 5 के अध्यधीन होगी ।	कुछ नहीं
14ख.	कोई अध्याय	उपशीर्ष 8523 52 के अधीन आने वाले स्मार्ट कार्ड के विनिर्माण में उपयोग के लिए पोली विनाइल क्लोराइड (पो.वि.क्लो.) शीट और रिबन : परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट अधिसूचना सं012/2012-सीमाशुल्क, तारीख	कुछ नहीं

		17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध शर्त सं0 15क के अध्यधीन होगी ।	
14ग.	कोई अध्याय	वायु-प्रचालित विद्युत जनित्र के विनिर्माण में उपयोग के लिए अपेक्षित पुर्जे और कच्ची सामग्री परंतु इस अधिसूचना के अधीन छूट अधिसूचना सं; 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध शर्त सं; 46 के अध्यधीन होगी ।	कुछ नहीं"

[फा.सं0 334/15/2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 194 (अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 6/2014-सीमाशुल्क, तारीख 17 फरवरी, 2012 द्वारा, सा.का.नि. 93(अ) तारीख 17 फरवरी, 2014 द्वारा, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।